

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

में खिली प्रकार की फलखन्दाजी
नहीं करें।

निर्णय मजरे काठ द्वारा
जाकर लिखा जाय।

पुस्तकी किताब मुकाल
द्वारा फलखन्दाजी

(मजरे इन्तही)

उपपुस्तक अधिकारी

कठ २०१६

कैम्प - २१५५